

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./1142/2019/99

दिनांक : 07/02/2019

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 11(7) एफ.डी./नियम/2008/दिनांक 12.09.08, एफ.14 (88) वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं एफ. 15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक व पूर्ण सेवावधि	दये पे बैण्ड एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल प्राप्त	दये ग्रेड-पे/पे मैट्रिक्स लेवल
1.	यामिनी मिश्रा, लै.टे.	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	25.05.2009	25.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
2.	मीनाक्षी जैन, लै.टे.	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	21.05.2009	21.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
3.	राधा वर्मा, लै.टे.	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	18.05.2009	18.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
4.	रेखा निर्वाण, लै.टे.	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	25.05.2009	25.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
5.	दीपिका सोनी लै.टे.	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	19.05.2009	19.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
6.	श्री रमेश चन्द कुमावत, लै.टे.	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
7.	जगप्रीत कौर, लै.टे.	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	29.05.2009	29.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9

8.	श्री संतलाल स्वामी, लै.टे.	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तारानगर (चूरु)	01.03.2009	01.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
9.	श्री शीशराम फडोलिया, लै.टे.	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी तारानगर (चूरु)	01.03.2009	01.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
10.	श्री अजय कुमार शर्मा, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोलायत (बीकानेर)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
11.	श्री नवरत्न गहलोत, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बावडी (जोधपुर)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
12.	श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बावडी (जोधपुर)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
13.	श्री विनोद कुमार चौधरी, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुम्हेर (भरतपुर)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
14.	श्रीमति पुष्पा जेठानी, लै.टे	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर-अजमेर	19.05.2009	19.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
15.	श्रीमति निशा कछवाहा, लै.टे	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर-अजमेर	20.05.2009	20.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
16.	श्री कृष्ण माधव भारद्वाज, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी आमेर (जयपुर-प्रथम)	20.05.2009	20.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
17.	श्री मनोज कुमार सोनी, लै.टे	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय, टोंक	20.05.2009	20.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9

18.	श्री अनिल कुमार शर्मा, लै.टे	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नाथद्वारा, राजसमन्द	28.10.2009	28.10.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
19.	श्री मोहनलाल मीणा, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाली (पाली)	29.05.1998	29.05.2007 9 वर्ष	5200-20200	3600
20.	श्री दिलीप कुमार, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी देसूरी (पाली)	31.07.1998	31.07.2016 18 वर्ष	9300-34800	3600
21.	श्री संतोष शर्मा, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी रियांबडी (नागौर)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
22.	श्रीमती काजल भाटी, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेडता सिटी (नागौर)	19.05.2009	19.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
23.	श्री अश्वनी कुमार, लै.टे	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
24.	श्रीमती हर्षबाला शर्मा, लै.टे	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर	20.05.2009	20.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
25.	श्रीमती अंकिता राठी, लै.टे	प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर	21.05.2009	21.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
26.	श्री लालचन्द सबल, लै.टे	प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर	01.03.2009	01.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9

27.	श्रीमती रेखा माहोर, लै.टे	प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा	20.05.2009	20.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
28.	श्री रामेश्वर नागर, लै.टे	अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज परिसर, कोटा	12.10.1998	12.10.2016 18 वर्ष	9300-34800	4200
29.	श्री गुलशन कुमार मेहता, लै.टे	अधीक्षक, पी.बी.एम. एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर	20.01.1994	20.01.2017 18 वर्ष	9300-34800	4200
30.	श्रीमती ज्योति वासवानी, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सांगानेर (जयपुर)	01.03.2009	01.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
31.	श्रीमती निधी राजवंशी, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लालसोट (दौसा)	03.03.2009	03.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
32.	श्रीमती पूनम बैरवा, लै.टे.	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लालसोट (दौसा)	22.05.2009	22.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
33.	श्रीमती देवकी तंवर, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहाडा मु गंगापुर (भीलवाडा)	22.05.2009	22.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
34.	श्री उम्मेद सिंह राजपुरोहित, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाप (जोधपुर)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
35.	श्री खेताराम, लै.टे	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय नाहटा चिकित्सालय, बालोतरा, बाड़मेर	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
36.	श्री प्रेमचन्द जयपाल, लै.टे	अधीक्षक, पी.बी.एम. एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9

37.	श्री श्रवण निर्वाण, लै.टे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गांधीबडी (हनुमानगढ)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
38.	श्री मुखराम मीणा, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजगढ (अलवर)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
39.	श्री उपेन्द्र मिश्रा, लै.टे.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकराना (नागौर)	05.12.1998 म.प.	06.12.2016 18 वर्ष	9300-34800	4200

नोट:- क्रम संख्या 29 पर अंकित श्री गुलशन कुमार मेहता के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान होने के कारण वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-14 (88)एफडी/रूल्स/2008-1 दिनांक 06.10.2015 के परिपेक्ष्य में इनकी ए.सी.पी 5 वर्ष पश्चात अर्थात दिनांक 20.01.2012 के स्थान पर दिनांक 20.01.2017 से देय है।

उपरोक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 07/02/2019

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./1142/2019/ 99

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्रशासनिक अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर